# कामर्शियल कोर्ट प्रयागराज

निष्पादन वाद सं0 108/109/110/174/2019

**विनोद कुमार निषाद,**

बनाम

**उ०प्र० राज्य द्वारा अधिशासी अभियन्ता**

निर्माण खण्ड–4 (कु०मे०)लो०नि०वि०

प्रयागराज

## आदेश

**24.02.2025**

1. पत्रावली पेश हुयी। आदेश के लिए नियत है।

2. मैने डिक्रीदार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और निर्णीतऋणी/अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–4 (कु०मे०) लो०नि०वि० की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

3. उपरोक्त निष्पादन वाद में पक्षकार एक होने के कारण न्यायहित में एक साथ आदेश पारित किया जा रहा है जो इस प्रकार हैः–

4. डिक्रीदार की ओर से अधिशासी अभियन्ता/निर्णीतऋणी को जरिये गैर जमानती वारंट उपस्थित कराया जाये और यदि निष्पादन वाद की आद्यतन निष्पादन योग्य धनराशि भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें सिविल कारागार में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया जाये।

5. दूसरी ओर निर्णीतऋणी की ओर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि निर्णीतऋणी के द्वारा डिक्रीटल धनराशि का आवंटन होने के लिए शासन स्तर से पैरवी की जा रही है और पूर्ण संभावना है कि बहुत ही जल्द शासन स्तर से आवंटन हेतु धनराशि प्राप्त हो जायेगी। अतः न्यायहित में उपरोक्त इजरावाद में धनराशि के भुगतान हुते कम से कम 15 दिन का समय दिया जाये।

6. उपरोक्त निष्पादन वाद में आद्यतन निष्पादन योग्य धनराशि सारणी निम्नलिखित रूप से उल्लिखित किया गया है जो इस प्रकार हैः–

**निष्पादन योग्य धनराशि** :–

| क्रम सं0 | निष्पादन वाद सं0 | बकाया धनराशि | बिल प्रेषित करने का हेतु आदेश |
|---|---|---|---|
| 1. | 108/2019 | 1602509/– | 30.04.24/12.09.24 |
| 2. | 109/2019 | 1467117/– | ,, |
| 3. | 110/2019 | 1755694/– | ,, |
| 4. | 174/2019 | 6358578/– | ,, |
| | **योग** | **1,11,83,898/–** | |

7. उपरोक्त मामले में निर्णीतऋणी द्वारा अवार्ड धनराशि के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अवसर लिया गया। न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद आप ने अवार्ड धनराशि के भुगतान के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीतऋणी/अधिशासी अभियन्ता ने न्यायालय के आदेश के बावजूद उपरोक्त अवार्ड धनराशि कुल **1,11,83,898/- रू०** का भुगतान नहीं किया है और न ही न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया है जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना होने के श्रेणी में आता है, जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध सि०प्र०सं० में दिये गये प्रावधान के अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। विस्तृत आदेश **निष्पादन वाद सं0 106/2019 सुशील कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य** में पारित किया जा चुका है।

9. पत्रावली सुनवाई हेतु नियत **दिनांक** 18.03.2025 को पेश हो।

**दिनांक-24.02.2025**

**(राम केश)**
पीठासीन अधिकारी
कामर्शियल कोर्ट
प्रयागराज



Digitally signed by RAM KESH
Date: 2025.02.24 15:38:54 IST
Reason: Document Owner
Location: Commercial Court